



**छत्तीसगढ़ शासन
भण्डार क्रय नियम, 2002
(यथा संशोधित)**

**छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
(11 जुलाई, 2024 तक अद्यतन)**

अनुक्रमणिका

क्र.	नियम क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1		भण्डार क्रय नियम 2002 का उद्देश्य	2
2	1	भण्डार क्रय नियम – परिचय	2
3	2	शासकीय क्रय का आशय	2
4	3	राज्य के ऑनलाईन पोर्टल से परिशिष्ट 1 एवं 2 में उल्लेखित सामग्रियों का क्रय तथा भारत सरकार के जेम (GeM- Government e-Marketplace) पोर्टल से शासकीय खरीदी।	2
5	4	निविदा के संबंध में प्रक्रिया	3
6	5	डी.जी.एस.एंड.डी. पंजीकरण	9
7	6	विदेशों से क्रय	10
8	7	वस्तुओं के दरों व शर्तों का निर्धारण	10
9	8	अन्य विभागों एवं उनके उपक्रमों से सामग्रियों का क्रय	11
10	9	एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग/उपक्रम से क्रय किया जाना	11
11	10	प्राकृतिक आपदा या कानून व्यवस्था की विषम परिस्थितियों में वस्तुओं का क्रय	12
12	11	सामग्रियों के निरीक्षण, गुणवत्ता व भुगतान का दायित्व	12
13	12	निविदा एवं अनुबंधों की सूची	12
14	13	विशेष वर्गों से क्रय में अनिवार्यतः	13
15	14	विलोपित	13
16	15	डी.जी.एस.एण्ड.डी. के द्वारा निर्धारित नियमों का पालन	13
17	16	राज्य शासन द्वारा किसी नियम को शिथिल करने की शक्ति	14
18		परिशिष्ट-1	15
19		परिशिष्ट-2	20
20		परिशिष्ट-3	23
21		परिशिष्ट-4	27

भण्डार क्रय नियम 2002 का उद्देश्य

- (अ) राज्य शासन के विभागों को उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री उचित दरों पर निश्चित समयावधि में प्राप्त हो सके।
- (ब) राज्य शासन को न्यूनतम दरों पर सामग्री आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
- (स) स्थानीय लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिले।
- (द) यदि किन्हीं सामग्रियों का उत्पादन राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों द्वारा किया जाता है तो मूल्य एवं गुणवत्ता समान होने की दशा में सामग्रियां क्रय करने में ऐसे उद्योगों को प्राथमिकता मिले।

भण्डार क्रय नियम

- नियम-1**
- (1) ये नियम छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 कहलायेंगे।
 - (2) इनका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।
 - (3) ये नियम राजपत्र में अधिसूचित होने के दिनांक से लागू होंगे।

- नियम-2** भण्डार क्रय नियमों के अंतर्गत शासकीय क्रय का आशय शासकीय विभागों द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तुओं से है।

- उपनियम-2.1** समस्त शासकीय विभागों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रम, मंडल, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, एवं नगरीय निकाय भी भण्डार क्रय नियमों की परिधि में रहेंगे।

नियम-3

- उपनियम-3.1.1** * (4 व 14) राज्य शासन के समस्त विभाग/क्रेता कार्यालय/अधिनस्थ संस्थाएं अपनी आवश्यकतानुसार सामग्री, वस्तुएं एवं सेवाएं जिनकी दरें एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाइट (GeM – Government e-Marketplace) में उपलब्ध हों, का क्रय जेम वेबसाइट से उनकी नियमावली, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये क्रय करेंगे, किन्तु ऐसे क्रय के लिये विभाग/क्रेता कार्यालय/ अधिनस्थ संस्थाएं जेम वेबसाइट में संबंधित सामग्री के तकनीकी स्पेसिफिकेशन (Technical Specification) का परीक्षण, विक्रेता की साख एवं एल-1 मूल्य, आदि का निर्धारण स्वयं करेगा। विभाग/क्रेता कार्यालय/ अधिनस्थ संस्थाएं की यह भी जिम्मेदारी होगी कि वह शासकीय कोष की मितव्ययता एवं क्रय की जा रही सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। यदि राज्य शासन का कोई विभाग/क्रेता कार्यालय/अधिनस्थ संस्थाएं इस प्रावधान से परे, इस नियमावली के नियम-4 में वर्णित प्रावधान के अनुरूप

(4) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 30.09.2019 द्वारा पैरा जोड़ा गया।

(11) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 28.02.2022 द्वारा पैरा जोड़ा गया।

(14) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 11.07.2024 द्वारा पैरा जोड़ा गया।

निविदा प्रणाली के माध्यम से सामग्री, वस्तुयें एवं सेवाएं का क्रय करना चाहे तो वे निविदा के माध्यम से सामग्री, वस्तुयें एवं सेवाएं क्रय कर सकेंगे किंतु ऐसा करने के पूर्व उन्हें संबंधित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त विभाग से लिखित सहमति प्राप्त करनी होगी।

उपनियम-3.1.2 ऐसी सामग्री, वस्तुयें एवं सेवाएं जिनकी दरें एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाइट (GeM – Government e-Marketplace) में उपलब्ध नहीं हो, तथा यदि ऐसी सामग्री, वस्तुयें एवं सेवाएं की दरें एवं विशिष्टियां यदि परिशिष्ट-1 की ऐसी वस्तुयें छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (सीएसआईडीसी) द्वारा संचालित “ई-मानक पोर्टल” पर उपलब्ध हों एवं परिशिष्ट-2 की ऐसी वस्तुयें “छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड” की दरें उपलब्ध हों, तो ऐसी सामग्री, वस्तुयें एवं सेवाओं का क्रय राज्य शासन के सभी विभाग/क्रेता कार्यालय/अधिनस्थ संस्थाएं द्वारा उपरोक्त संस्थाओं के माध्यम से किया जा सकेगा।

उपनियम-3.1.3 ऐसी सामग्री वस्तुयें एवं सेवाएं जिनकी दरें एवं विशिष्टियां (3.1.3) एवं (3.3.2) के माध्यम से उपलब्ध नहीं हो उनका क्रय राज्य शासन के सभी विभाग/क्रेता कार्यालय/अधिनस्थ संस्थाएं इस नियमावली के नियम 4 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप निविदा प्रणाली के माध्यम से कर सकेंगे।

उपनियम-3.4 “ऐसी सामग्री वस्तुयें एवं सेवाएं जो उपनियम-3.1, उपनियम-3.2 (यथा संशोधित) में वर्णित परिशिष्ट-1 एवं उपनियम-3.3 (यथा संशोधित) में वर्णित परिशिष्ट-2 में वर्णित नहीं है, उनका क्रय राज्य शासन के सभी विभाग/क्रेता कार्यालय/अधिनस्थ संस्थाएं नियम-4 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसरण में क्रय कर सकेंगे।”

नियम-4 शासकीय क्रय सामान्यतः निविदा के माध्यम से किया जायेगा। निविदा के संबंध में प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

उपनियम-4.1 निविदा आमंत्रण के पूर्व क्रय की जाने वाली सामग्री का मापदंड तकनीकी ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

उपनियम -4.2 * (4) निविदा की शर्तों का निर्धारण **क्रेता** द्वारा किया जाएगा।

* (3) परन्तु, छत्तीसगढ़ में स्थापित भारत सरकार से मान्यता प्राप्त वैध स्टार्ट-अप, जैसा कि औद्योगिक नीति 2014-19 के परिशिष्ट-1 परिभाषा में अनुक्रमांक 54 पर परिभाषित है तथा निविदाकर्ता द्वारा निविदा जारी करने की दिनांक को भारत सरकार की वेबसाइट पर वैध पाया गया है, को निविदा प्रक्रिया में निम्नानुसार लाभ प्राप्त होंगे :-

1. पूर्व अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी।
2. उस पर पूर्व टर्नओवर संबंधी कोई शर्त अधिरोपित नहीं होगी।

(3) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 28.04.2018 द्वारा पैरा जोड़ा गया।

(4) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 30.09.2019 द्वारा पैरा जोड़ा गया।

(12) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 09.05.2022 द्वारा पैरा जोड़ा गया।

(13) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 26.07.2023 द्वारा पैरा जोड़ा गया।

(14) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 11.07.2024 द्वारा पैरा जोड़ा गया।

उपनियम -4.3 निविदा बुलाने की प्रक्रियाएं :-

उपनियम 4.3.1 एकल निविदा पद्धति :-

* (13)

(अ) ऐसी एकल वस्तुएं जो कि सांपत्तिक प्रकृति (**Proprietary Character**) की हो तथा प्रतिस्पर्धा आवश्यक न समझी जाये, का क्रय एकल निविदा पद्धति अर्थात एक फर्म से निविदा प्राप्त कर किया जावेगा परंतु इस एकल वस्तु की वार्षिक आवश्यकता रु. 50,000 (पचास हजार) से अधिक की न हो।

(ब) परन्तु, एकल वस्तु की कीमत रुपये 50,000 (पचास हजार) से अधिक होने पर निम्नलिखित अनुसार शर्तों/प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए कार्यवाही की जायेगी :-

(1) सांपत्तिक प्रकृति (**Proprietary Character**) के रूप में क्रय की जाने वाली वस्तु के विषय में क्रेता विभाग के संज्ञान में यह होने अपेक्षित होगा कि उक्त आवश्यक वस्तु का निर्माण केवल एक ही उत्पादनकर्ता द्वारा किया जाता है।

(2) आपातकालीन स्थिति में उक्त आवश्यक सामग्री का क्रय किसी एक प्रदायक से क्रय किये जाने के संबंध में लिया गया निर्णय कारणों को अभिलिखित करते हुए लिया जायेगा। साथ ही इस हेतु सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त की जावेगी।

(3) प्रोपराईटरी आर्टिकल (**Proprietary Article**) का क्रय :-
किसी मशीन, अतिरिक्त कलपुर्जे जो कि विद्यमान उपकरणों के मानकीकरण अथवा स्पेयर पार्ट्स के लिए मौजूदा सेट के अनुकूल होने पर (सक्षम तकनीकी विशेषज्ञ की सलाह तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित) आवश्यक वस्तु केवल एक चयनित फर्म से क्रय किया जा सकता है।

परन्तु, इस हेतु प्रशासकीय विभाग के द्वारा निविदा के माध्यम से प्रोपराईटरी आर्टिकल (**Proprietary Article**) क्रय किये जाने के पूर्व निर्धारित प्रपत्र के परिशिष्ट-4 के अनुसार में प्रोपराईटरी आर्टिकल प्रमाण पत्र (**Proprietary Article Certificate**) प्राप्त किया जाना होगा। सांपत्तिक वस्तु (**Proprietary Character**) का क्रय एकल निविदा पद्धति अर्थात एक फर्म से क्रय की सीमा, सक्षम प्रशासकीय अनुमोदन के अनुसार ही होगी।

उक्त एकल निर्माता अथवा अधिकृत विक्रेता से क्रय हेतु भण्डार क्रय नियमावली की कंडिका-4.3.1 (ब) के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसरण किया जाना होगा :-

(1) संबंधित विभाग/संस्था द्वारा सांपत्तिक प्रकृति (**Proprietary Character**) आर्टिकल सर्टिफिकेट प्राप्त होने पर, इस संबंध में दावा आपत्ति हेतु संक्षिप्त सूचना समाचार पत्रों में तथा विस्तृत सूचना शासन/विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित की जावेगी।

(2) दावा आपत्ति हेतु न्यूनतम 30 दिवस का समय प्रदान किया जावेगा। इस समयवधि में यदि कोई दावा आपत्ति प्राप्त होती है तो उसका विधिवत् निराकरण किया जावेगा।

- (3) दावा आपत्ति निराकरण के पश्चात् यदि यह सुनिश्चित हो जाता है कि संबंधित सामग्री सांपत्तिक प्रकृति (Proprietary Character) की है, तथा प्रोपरायट्री आर्टिकल सर्टिफिकेट में अंकित आपूर्तिकर्ता के अतिरिक्त, अन्य कोई व्यक्ति/संस्था उसकी आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है अथवा क्रय का अन्य कोई विकल्प नहीं है, तो प्रस्तावित आपूर्तिकर्ता से आईटम की दरें एवं उसका औचित्य (Justification) प्राप्त किया जावेगा एवं इस प्रकार प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर क्रय समिति द्वारा दर, स्वीकृत/अस्वीकृत/नेगोशिएट करने की अनुशंसा की जाकर अनुशंसा अनुसार आगामी कार्यवाही /दर अनुबंध, सक्षम अनुमोदन के पश्चात् किया जावेगा।
- (स) भण्डार क्रय नियमावली की कंडिका-4.3.1 (ब) के अधीन क्रय किये गये सामग्रियों हेतु निर्धारित सीमा तक मूल्य की सामग्री के लिये, राज्य शासन के संबंधित विभाग द्वारा अपने अधिनस्थ विभागाध्यक्ष/संस्था प्रमुख को अधिकारों का प्रत्यायोजन प्रशासकीय अनुमोदन के द्वारा किया जा सकेगा।

उपनियम 4.3.2 सीमित निविदा पद्धति *(1), (2), (9), (11) एवं (12) :-

साधारणतः ऐसे समस्त आदेशों के मामले में अपनाई जानी चाहिये जिसमें अनुमानित वार्षिक क्रय राशि रु. 50,001 से 3,00,000 (रुपए पचास हजार एक से रुपए तीन लाख) तक हो। इसमें निर्माताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों से सीधा संपर्क स्थापित कर क्रय किया जाता है। इसके लिए यदि विज्ञापन जारी किया जाये तो एक भारी राशि विज्ञापन पर खर्च होगी, इस लिये इससे बचने हेतु कम से कम तीन निर्माताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि या पंजीकृत निर्माता से सीमित निविदा के आधार पर क्रय किया जा सकेगा।

परंतु, वे परिशिष्ट-1 की वस्तुयें जिनकी दर एवं विशिष्टियां छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्लपमेंट कॉर्पोरेशन (सीएसआईडीसी) द्वारा संचालित ई-मानक पोर्टल पर/उपलब्ध न हों एवं परिशिष्ट-2 की वस्तुयें "छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड" की दरें निर्धारित न हों ऐसी वस्तुओं हेतु विभाग द्वारा नियम-4 में उपलब्ध प्रावधान का उपयोग कर उक्त सामग्री सीधे क्रय कर सकेगा, किन्तु ऐसे क्रय के लिये क्रेता विभाग को संबंधित सामग्री के तकनीकी स्पेसिफिकेशन (Technical Specification) का परीक्षण विक्रेता की साख एवं एल-1 मूल्य का निर्धारण स्वयं करेगा।

उपनियम-4.3.3 खुली निविदा पद्धति *(5), (9) एवं (14) :-

- (अ) इस पद्धति में हमेशा लोक विज्ञापन द्वारा नियमानुसार खुली निविदायें बुलाकर करना चाहिये। निविदा आमंत्रित करने हेतु निविदा के अनुमानित मूल्य के आधार पर निम्नानुसार लोक विज्ञापन किया जावे :-

- (1) रु. 3,00,001 से 5.00 लाख तक हो, स्थानीय स्तर के बहुप्रचारित एक समाचार पत्र में।

(1) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 05.07.2017 द्वारा परन्तुक अन्तस्थपित ।
 (2) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 16.10.2017 द्वारा पैरा जोड़ा गया ।
 (5) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-53/2020/11/6 दिनांक 01.09.2020 द्वारा पैरा जोड़ा गया ।
 (9) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 29.12.2020 द्वारा पैरा जोड़ा गया ।
 (11) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 28.02.2022 द्वारा पैरा जोड़ा गया ।
 (12) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 09.05.2022 द्वारा पैरा जोड़ा गया ।
 (14) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 11.07.2024 द्वारा पैरा जोड़ा गया ।

- (2) रु. 5.00 लाख से अधिक तथा रु. 10.00 लाख तक हो प्रदेश स्तरीय बहुप्रचारित दो समाचार पत्रों में।
- (3) रु. 10.00 लाख से अधिक तथा रु. 20.00 लाख तक हो-प्रदेश स्तरीय बहुप्रचारित दो समाचार पत्रों में तथा राष्ट्रीय स्तर के एक समाचार पत्र में।
- (4) रु. 20.00 लाख से अधिक-प्रदेश स्तरीय बहुप्रचारित दो समाचार पत्रों में तथा राष्ट्रीय स्तर के दो समाचार पत्रों में।

उपरोक्त व्यवस्था अंतर्गत निविदा बुलाने की प्रक्रिया इन्टरनेट के माध्यम से की जा सकेगी।

- (ब) केन्द्रीय क्षेत्रीय/केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत क्रय के मामलों में संबंधित योजना में भारत सरकार द्वारा निर्देशित क्रय की निर्धारित/उल्लेखित प्रक्रिया होने पर उसका पालन किया जा सकेगा।
- (स) ऐसी वस्तुयें जिनकी दर एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्ड की जेम वेबसाईट में उपलब्ध हो, का क्रय उक्त खुली निविदा पद्धति या जेम पर उपलब्ध बिडिंग प्रक्रियाएं यथा डायरेक्ट परचेस, एल-1, ई-बिडिंग (E-bidding) तथा रिवर्स आक्शन (Reverse auction) पद्धति के तहत आवश्यकता अनुसार क्रय कर सकेगा।

परन्तु, जेम पोर्टल के माध्यम से सामग्री का क्रय किये जाने के स्थिति में सामग्री प्राप्त हो जाने के 48 घण्टे भीतर क्रेता को Provisional Receipt Certificate (PRC) जारी किया जाना आवश्यक होगा। प्राप्त सामग्री का सत्यापन किये जाने के उपरांत Consignee Receipt Acceptance Certificate (CARC) जारी की जायेगी। यह PRC जारी करने की दिनांक 10 दिनों के अंदर जारी किया जाना आवश्यक होगा। CARC जारी होने की दिनांक से 10 दिनों के भीतर सामग्री का भुगतान क्रेता द्वारा किया जाना आवश्यक होगा अथवा जेम के प्रभावशील दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा।

- (द) खुली निविदा पद्धति में प्रथम बार आमंत्रित निविदाओं में दरों की पर्याप्त प्रतिस्पर्धा एवं तुलना सुनिश्चित किये जाने के लिए यह आवश्यक होगा कि कम से कम तीन मूल निर्माताओं की ओर से निर्माता अथवा उनके अधिकृत प्रदायकर्ता प्रतिनिधि द्वारा निविदा में हिस्सा लिया जा कर न्यूनतम तीन पात्र निविदाकारों का होना सुनिश्चित किया जाना होगा।
- (इ) सुरक्षा संबंधी उपकरणों, वस्तुओं/सामग्री जिनमें एकल निर्माता से क्रय की स्थिति है, ऐसी वस्तुओं के क्रय गृह विभाग को नियमावली की कंडिका-4 3.3 के पालन से छूट प्रदान की जाती है। ऐसी सामग्रियों का क्रय गृह विभाग द्वारा विभागीय प्रशासकीय अनुमोदन के पश्चात् स्वयं के स्तर पर प्रक्रिया पूर्ण कर किया जा सकेगा।

उपनियम-4.4 निविदा विज्ञप्ति :-

निविदा बुलाने हेतु संक्षिप्त निविदा प्रकाशित की जानी चाहिए, ताकि मितव्ययिता बनी रहे। क्रय की अन्य शर्तें टेण्डर फार्म के साथ दी जा सकती है।

(12) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/(6) दिनांक 09.05.2022 द्वारा पैरा जोड़ा गया।

(14) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/(6) दिनांक 11.07.2024 द्वारा पैरा जोड़ा गया।

उपनियम-4.4.1 निविदा सूचना के लिये विज्ञापन प्रपत्र का निर्धारण :-

* (12)

निविदा विज्ञापन संक्षिप्त होने चाहिए। इसमें केवल क्रय की जाने वाली मुख्य सामग्री या जिस उद्देश्य से निविदा आमंत्रित की जा रही है उसका उल्लेख होना चाहिये। मुख्य शर्तें, यथा किस तिथि व समय तक निविदा स्वीकार की जायेगी, का उद्देश्य विज्ञापन में होना अनिवार्य है। जहां तक शर्तों के विस्तृत विवरण का प्रश्न है, इस संबंध में केवल इतना उल्लेख पर्याप्त होगा कि निविदा की विस्तृत शर्तें निर्धारित तिथि के पूर्व कार्य दिवसों में संबंधित कार्यालय से टेण्डर फार्म के साथ प्राप्त की जा सकती है। किसी भी स्थिति में निविदा सूचना के लिए लम्बे-लम्बे विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिये।

उपनियम-4.4.2 निविदा सूचना का प्रारूप :-

इस हेतु निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट-3 में दिया गया है।

उपनियम-4.4.3 बुलाई गई निविदा को किसी भी समय सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताए निरस्त किया जा सकेगा।

उपनियम-4.5 निविदा हेतु समय-सीमा निम्नानुसार होगी :-

* (12)

निविदा पद्धति	अवधि / दिवस		
	प्रथम आमंत्रण	द्वितीय आमंत्रण	तृतीय आमंत्रण
सीमित निविदा पद्धति	15	10	5
खुली निविदा (रु. 3,00,001 से अधिक रु. 10 लाख तक)	21	14	7
खुली निविदा (रु. 10 लाख से अधिक)	30	20	10
ग्लोबल निविदा	45	30	20

उपरोक्त सीमा की गणना निविदा विज्ञापित प्रकाशन की तिथि से होगी।

उपनियम-4.6 निविदा प्राप्ति की पद्धति :-

उपनियम-4.6.1

* (4)

निविदा रजिस्टर्ड पोस्ट (ए.डी.) अथवा स्पीड पोस्ट अथवा पी.एंड. टी. विभाग से अधिकृत कोरियर के द्वारा प्राप्त की जाएगी। अथवा निर्धारित टेण्डर बाक्स में डाली जाएगी। ऑनलाईन निविदा में निर्धारित समय सारणी (शेड्यूल) के अनुसार निविदा प्रस्तुत की जावेगी।

उपनियम-4.6.2

* (4)

रजिस्टर्ड डाक द्वारा निविदाएं निर्धारित अंतिम तिथि के निर्धारित समय तक ही प्राप्त की जाए तथा इसका उल्लेख निविदा विज्ञापित में किया जाएगा। ऑनलाईन निविदा में निर्धारित समय सारणी (शेड्यूल) के अनुसार निविदा प्रस्तुत की जावेगी।

उपनियम-4.6.3

* (4)

निविदा खोलने का समय, निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के निर्धारित समय तक एक घण्टे पश्चात् अर्थात् उसी दिन निर्धारित समय तक रखा जाएगा। ऑनलाईन निविदा में निर्धारित समय सारणी (शेड्यूल) के अनुसार निविदा खोली जावेगी।

(3) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 28.04.2018 द्वारा पैरा जोड़ा गया।

(4) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 30.09.2019 द्वारा पैरा जोड़ा गया।

(12) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 09.05.2022 द्वारा पैरा जोड़ा गया।

उपनियम-4.6.4

* (4 व 12)

अमानत राशि (ईएमडी) संबंधी व्यवस्था-

- (अ) निविदा दो लिफाफों में प्रस्तुत किया जायेगा।
- (ब) एक लिफाफे में अमानत राशि (ईएमडी) अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण पत्र तथा दूसरे लिफाफे में निविदा प्रपत्र, तदानुसार लिफाफे के ऊपर लिखा जाएगा।
- (स) अमानत राशि (ईएमडी) वाले लिफाफे को पहले खोला जाएगा तथा पर्याप्त अमानत राशि (ईएमडी) अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण पत्र होने पर ही दूसरे लिफाफे अर्थात् निविदा पत्र वाले लिफाफे को खोला जाएगा, अन्यथा निरस्त कर दिया जाएगा।
- (द) ऑनलाईन निविदा में निर्धारित समय सारणी (शेड्यूल) या ऑन-लाईन निविदा प्रपत्र में उल्लेखित विवरण अनुसार निविदा प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

उपनियम-4.6.5

* (4)

जो भी निविदा निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होगी, वह नहीं खोली जाएगी तथा वापस लौटा दी जाएगी। निविदा वापस करते समय निविदा के बंद लिफाफे पर निविदा लौटाने की तिथि व समय अंकित किया जाएगा। ऑन-लाईन निविदा प्रक्रिया में निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् निविदा प्राप्त न हो, इस संबंध में समुचित व्यवस्था की जायेगी।

उपनियम-4.7

अमानत राशि (ईएमडी) संबंधी निर्देश :-

* (3 व 12)

- (अ) केवल वास्तविक प्रदायकर्ता फर्म ही अपनी निविदा प्रस्तुत कर सके, इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक निविदा के साथ अनुमानित क्रय मूल्य का 1 (एक) प्रतिशत अमानत राशि (ईएमडी) प्राप्त की जाये। यह अमानत राशि (ईएमडी) सफल निविदाकार की रोककर, शेष को 15 दिवस में वापस लौटा दी जाए।
- (ब) प्रदेश की लघु एवं कुटीर उद्योग इकाई जो उद्योग विभाग से पंजीकृत है, के साथ ही छत्तीसगढ़ में स्थापित भारत सरकार से मान्यता प्राप्त वैध स्टार्टअप, जैसा कि औद्योगिक नीति 2014-19 के परिशिष्ट-1 परिभाषा में अनुक्रमांक-54 पर परिभाषित है तथा निविदाकर्ता द्वारा निविदा जारी करने की दिनांक को भारत सरकार की वेबसाइट पर वैध पाया गया है, तथा सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त है, को उसका परीक्षण कर उन्हें शासकीय क्रय प्रक्रिया में भाग लेते समय अमानत राशि (ईएमडी) जमा करने से छूट दी जाये।
- (स) इकाईयों द्वारा उपरोक्त आशय का प्रमाण, टेण्डर के साथ प्रस्तुत करने पर ही उन्हें छूट प्राप्त होगी।

(4) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 30.09.2019 द्वारा पैरा जोड़ा गया।

(12) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 09.05.2022 द्वारा पैरा जोड़ा गया।

उपनियम-4.7.1

सुरक्षा निधि प्राप्त किये जाने संबंधी निर्देश -

निविदा में पात्र सफल निविदाकार को क्रय-आदेश जारी करने के पूर्व वास्तविक क्रय मूल्य का कम से कम 3 (तीन) प्रतिशत सुरक्षा निधि प्राप्त की जाये।

उपनियम-4.8 सुरक्षा निधि/अमानत राशि (ईएमडी) के प्रकार :-

*(12)

- (अ) सुरक्षा निधि/अमानत राशि (ईएमडी) की निर्धारित राशि नगद में प्राप्त नहीं किया जाएगा।
- (ब) निविदाकार को यह सुरक्षा निधि/अमानत राशि (ईएमडी) चालान से निम्नलिखित लेखा शीर्ष में शासकीय खजाने में/उप-खजाने में या बैंक की किसी भी शाखा में जहां शासकीय नगदी लेन-देन का कारोबार किया जाता है, में जमा करके चालान की मूल पावती निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
"8443-सिविल जमा राशियां"
"103- प्रतिभूति जमा"
- (स) निविदाकार चाहे तो सुरक्षा निधि/अमानत राशि (ईएमडी) शासकीय खजाने में जमा करने के स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक अथवा अनुसूचित बैंकों के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा कर सकता है।

उपनियम-4.9 क्रय की शर्तें :-

*(4 व 12)

- (अ) क्रय की शर्तें स्पष्ट होने चाहिये ताकि उसका अलग-अलग अर्थ लगाया जाकर विवाद की स्थिति निर्मित न हो।
- (ब) राज्य के जीएसटी विभाग में निविदाकर्ता फर्म का पंजीयन होना चाहिए, तथा उस पंजीयन प्रमाण पत्र में, जिस सामग्री के लिए निविदा की गई है उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, ताकि कर अपवंचन का मामला नहीं बने।
- (स) निविदाकर्ता की ओर से निविदा में भाग लेने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि का राज्य के जीएसटी विभाग में पंजीयन होना अनिवार्य है तथा पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न किया जावे।
- (द) उपरोक्त के अतिरिक्त फर्म का कर समाशोधन प्रमाण पत्र जिसमें यह प्रमाणित होता हो कि फर्म ने देय कर अदा किया है एवं उस पर कोई कर बकाया नहीं है, जहां आवश्यक हो लिया जावे।
- (ई) यह स्पष्ट वर्णित किया जावे कि निविदाकर्ता का व्यापारिक संस्थान कहाँ स्थित है, जहाँ से वह भिन्न स्थानों पर माल का प्रदाय करेगा।
- (फ) निविदा में प्रस्तुत की जा रही दरों में करों का पृथक से स्पष्ट उल्लेख हो।

*(4)

(12) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/(6) दिनांक 09.05.2022 द्वारा पैरा जोड़ा गया।

() * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/(6) दिनांक 09.05.2022 द्वारा पैरा जोड़ा गया।

- (ज) क्रय अधिकारी मितव्ययिता को दृष्टिगत रखकर शासन हित में निविदा में अन्य उपयुक्त शर्त का समावेश कर सकता है।
- (ह) निविदा प्रपत्र में प्रदाय/विक्रेता को काली सूची में डाले जाने के संबंध में प्रावधान भी स्पष्टतः उल्लेखित किया जावे।

उपनियम-4.9.1 विलोपित।

उपनियम-4.10 नमूना लिया जाना :-

उचित गुणवत्ता की वस्तु का चयन किया जा सके, इस हेतु यह आवश्यक है कि प्रदाय की जाने वाली वस्तु का नमूना प्राप्त किया जावे। यदि ऐसा संभव न हो तो प्रदायकर्ता अपनी वस्तु का प्रदर्शन भी कर सकता है। यदि यह भी संभव नहीं हो तो, करार में यह शर्त जोड़ी जावे कि वस्तु के निर्माण के समय निर्माण स्थल में निरीक्षण करने का अधिकार क्रय अधिकारी को होगा।

उपनियम-4.11 निविदाओं को खोलना :-

उपरोक्तानुसार यदि खुले बाजार से निविदा आमंत्रित की गई है तो, प्राप्त निविदाएं एक क्रय समिति के समक्ष खोली जावे। निविदाएं खोलते समय प्रदायकर्ता अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि भी उपस्थित रह सकते हैं। जो प्रतिनिधि उपस्थित हो उनकी एक सूची तैयार की जाए तथा उनकी उपस्थिति के प्रमाण में उनके हस्ताक्षर रजिस्टर में लिये जावे।

उपनियम-4.12 क्रय समिति का गठन :-

प्रत्येक कार्यालय में जहां प्रतिवर्ष रु. 50,000/- या इससे अधिक का क्रय किया जाता है, एक क्रय समिति बनायी जावे। क्रय समिति में विभाग में पदस्थ लेखा अधिकारी/लेखा प्रभारी को सदस्य के रूप में अनिवार्यतः सम्मिलित हो। इस समिति में कितने सदस्य हो इसके लिये सक्षम अधिकारी स्व-विवेक से निर्णय ले सकते हैं, किन्तु समिति में ऐसे अधिकारियों को अवश्य सम्मिलित किया जाए जो क्रय की जाने वाली वस्तु का तकनीकी ज्ञान रखते हों। क्रय समिति मूल्य एवं वस्तु की गुणवत्ता का परीक्षण कर अपनी अनुशंसा करेगी। सामान्यतः क्रय समिति की अनुशंसा पर ही क्रय किया जावे परंतु यह आवश्यक नहीं है कि अधिकारी, समिति की अनुशंसा को मान्य करें। यदि वह अन्यथा निर्णय लेता है तो उसके द्वारा ऐसा करने के कारण लिपिबद्ध किये जायेंगे।

स्वीकृति हेतु निविदा का चयन करते समय, निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों एवं फर्मों के वित्तीय स्थिति, तकनीकी कार्यानुभव आदि को विचार में लिया जाये। जब निम्नतम निविदा स्वीकार नहीं की जाए तो ऐसा न करने के कारणों को लिखित में अंकित किया जाए।

यदि निविदा सूचना प्रसारित करने के पश्चात् यह आभास हो कि अपर्याप्त विज्ञप्ति अथवा अन्य कारणों से पर्याप्त निविदाएं प्राप्त नहीं हुई हैं, तो पुनः निविदा बुलाई जावे तथा ऐसे प्रयत्न किया जाए ताकि निविदा की सूचना संभावित समस्त निविदाकारों को पहुंच सके।

(4) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 30.09.2019 द्वारा पैरा जोड़ा गया।

(12) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 09.05.2022 द्वारा पैरा जोड़ा गया।

उपनियम-4.13 प्रदाय आदेश जारी करना :-

क्रय समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर क्रेता अधिकारी को चाहिये कि वह उसका बारीकी से परीक्षण करे। यदि वह क्रय समिति की अनुशंसाओं से संतुष्ट है तो क्रय की अनुमति दे सकता है। यदि वह संतुष्ट नहीं है तो निविदाओं को निरस्त भी कर सकता है उसको यह समाधान कर लेना चाहिए कि किसी फर्जी फर्म के द्वारा निविदा तो प्रस्तुत नहीं की गई है। जिस फर्म के द्वारा निविदा दी गई है, के बारे में यह भी सुनिश्चित कर लेना होगा कि उसके पास कार्य का ज्ञान है वित्तीय दृष्टि से वह सुदृढ़ है, भंडारण की उसके पास पर्याप्त व्यवस्था है। वह चाहे तो निर्माण के पूर्व अथवा निर्माण के समय वस्तु का निरीक्षण भी कर सकता है, इस आशय की शर्त करारनामा में जोड़ी जा सकती है। वस्तुएं इस शर्त पर क्रय की जावेगी कि उनका प्रदाय, क्रेता विभाग द्वारा निर्धारित स्थल पर प्रदायकर्ता द्वारा किया जायेगा।

प्रदाय आदेश जारी करने के पूर्व प्रदायकर्ता फर्म से करारनामा किया जाए, जिससे वह एक नियत समयावधि के अंदर एवं नमूने तथा मापदंड के अनुरूप प्रदाय हेतु बाध्य हो। करार में अन्य शर्तों के अलावा यह शर्त भी जोड़ी जाए कि नमूने तथा मापदंड के अनुरूप वस्तु प्राप्त नहीं होने की दशा में, प्राप्त सामग्री स्वीकार नहीं की जावेगी तथा प्रदायकर्ता को अपने व्यय पर उसे वापस ले जाना होगा। करारनामा में निर्धारित अवधि के अन्दर यदि माल प्रदाय नहीं किया जाता है तो क्रेता विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा 2 प्रतिशत प्रतिमाह पेनाल्टी के साथ समयावधि में केवल एक बार ही वृद्धि की जा सकेगी। सभी शर्तें स्पष्ट होनी चाहिये जिससे उनके दो अर्थ नहीं निकाले जा सकें। यह करारनामा स्टाम्प पेपर पर हो और करार विधिवत निष्पादित होने के पश्चात् ही प्रदाय आदेश दिया जावे।

उपनियम-4.14 (1) पुनरावृत्ति प्रदाय आदेश जारी करना -

*4 व 12

किसी भी स्थिति में ऐसा आदेश प्रारंभिक आदेश देने के 6 माह के बाद नहीं दिया जायेगा तथा ऐसा करते समय वस्तु की पूर्व निविदा द्वारा निर्धारित दर/मूल्य का परीक्षण क्रेता द्वारा करने के बाद यह प्रमाणित किया जायेगा कि उक्त निर्धारित दर/मूल्य वस्तु के सामान्य बाजार दर/मूल्य से अधिक नहीं है।

यह भी कि परिशिष्ट-1 की वस्तु होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी) एवं परिशिष्ट-2 की वस्तु होने की स्थिति में "छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड" द्वारा पुनरावृत्ति आदेश उसी स्थिति में दिया जायेगा, जबकि नया दर अनुबंध निष्पादित न हुआ हो।

किन्तु, पूर्व दर अनुबंध की वैधता में समयावृद्धि छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी)/"छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड" द्वारा की गई हो (जो कि किसी भी परिस्थिति में 6

(4) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 30.09.2019 द्वारा पैरा जोड़ा गया।

(5) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-53/2020/11/6 दिनांक 01.09.2020 द्वारा पैरा जोड़ा गया।

(11) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 28.02.2022 द्वारा पैरा जोड़ा गया।

(12) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 09.05.2022 द्वारा पैरा जोड़ा गया।

(छः) माह से अधिक नहीं होगी) तथा ऐसा करते समय वस्तु के दर निर्धारण मूल्य का परीक्षण क्रेता द्वारा करने के बाद यह प्रमाणित किया जायेगा कि उक्त दर अनुबंध/मूल्य, वस्तु के सामान्य बाजार दर/मूल्य से अधिक नहीं है।

किन्तु, दर अनुबंध के 1 (एक) वर्ष + छः माह से अधिक हो जाने की स्थिति में किसी भी तरह का पुनरावृत्ति आदेश नहीं दिया जायेगा।

उपनियम-4.14 (2) यदि मूल आदेश अत्यावश्यक हो या आकस्मिक मांग की पूर्ति हेतु दिया गया हो तो पुनरावृत्ति आदेश नहीं दिया जायेगा तथा पुनरावृत्ति आदेश देते समय इस अभिप्राय को प्रमाणित किया जायेगा।

उपनियम-4.14 (3) पुनरावृत्ति आदेश की मात्रा के 25 प्रतिशत से अधिक का नहीं होगा।

नियम-5

***12** महत्वपूर्ण संयंत्र एवं मशीनें एवं वाहन की दर एवं विशिष्टियां ई-मानक पोर्टल पर उपलब्ध न हो, हेतु विभाग द्वारा ऐसे वस्तुएं जिनकी दर एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी जेम वेबसाइट (Gem Website) में उपलब्ध हो, का क्रय आवश्यकतानुसार जेम वेबसाइट (Gem Website) से सीधे क्रय कर सकेगा। किन्तु ऐसे क्रय के लिए क्रेता विभाग जेम वेबसाइट से संबंधित सामग्री के तकनीकी स्पेसिफिकेशन (Technical Specification) का परीक्षण विक्रेता की साख एवं एल-1 मूल्य का निर्धारण स्वयं करेगा।

उपनियम-5.1 विलोपित

उपनियम-5.2 क्रयकर्ता अधिकारी द्वारा सभी वस्तुएं निरीक्षण की शर्त पर स्वीकार किये जाएंगे।

नियम-6 विदेशों से क्रय :-

ऐसी वस्तुएं जो देश में निर्मित नहीं होती हैं अथवा उन्नत तकनीक की हैं, उन्हें विदेशों से क्रय/आयात किया जा सकेगा। यह क्रय/आयात भारत शासन द्वारा अधिकृत संस्थाओं के माध्यम से किया जा सकेगा। यदि आवश्यक हुआ तो विशेष परिस्थितियों में शासन की अनुमति से "ग्लोबल टेण्डर" बुलाकर क्रय किया जा सकेगा।

नियम-7

***12** जैसा कि नियम-3 में उल्लेखित है, "छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी)" परिशिष्ट-1 एवं "छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड" परिशिष्ट-2 की वस्तुओं की दरों एवं शर्तों का निर्धारण करेगा। विभागों द्वारा क्रय इन दरों व शर्तों के अंतर्गत निर्धारित इकाईयों से किया जा सकेगा। दरों व शर्तों के निर्धारण के लिये

विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण, परिशिष्ट-1 की वस्तुओं के लिए "छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी)" व परिशिष्ट-2 की वस्तुओं के लिए "छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड" द्वारा किया जावेगा।

(4) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 30.09.2019 द्वारा पैरा जोड़ा गया।

(5) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-53/2020/11/6 दिनांक 01.09.2020 द्वारा पैरा जोड़ा गया।

(11) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 28.02.2022 द्वारा पैरा जोड़ा गया।

(10) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 03.08.2021 द्वारा पैरा जोड़ा गया।

(12) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 09.05.2022 द्वारा पैरा जोड़ा गया।

उपनियम-7.1

* (5 व 11)

“छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी)” परिशिष्ट-1 एवं “छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड” परिशिष्ट-2 के द्वारा विभिन्न निर्माणकर्ता/उत्पादनकर्ता एवं उनके अधिकृत प्रदायकर्ता का पंजीयन किया जावेगा।

उपनियम-7.1.1

*(4 व 11)

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सीएसआईडीसी) परिशिष्ट-1 एवं “छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड” परिशिष्ट-2 को क्रय प्रक्रिया में लगाने वाला निरीक्षण शुल्क एवं अन्य व्यय वास्तविक दरों पर देय होगा।

उपनियम-7.2

निविदा के माध्यम से वस्तुओं के दर निर्धारण नियम-4 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसरण में किया जावेगा। इस हेतु पंजीकृत इकाईयों को मान्य किया जावेगा तथा तदनुसार सूची प्रकाशित की जायेगी।

उपनियम-7.3

*(5)

सामान्यतः सामग्रियों की दरें एक वर्ष के लिये मान्य होंगी। परिशिष्ट-1 एवं 2 की वस्तु होने की स्थिति में नया दर अनुबंध निष्पादित न होने पर पूर्व दर अनुबंध की वैधता में अधिकतम 6 माह की वृद्धि वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा की जा सकेगी, जो कि किसी भी परिस्थिति में मूल दर अनुबंध अवधि का समयावधि वृद्धि अवधि जोड़कर कुल 1 वर्ष छः माह से अधिक नहीं होगी।

उपनियम-7.4

“छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी)” परिशिष्ट-1 एवं “छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड” परिशिष्ट -2 के द्वारा सभी वस्तुओं के मानक मापदंड का निर्धारण किया जायेगा। जिसमें समय-समय पर आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जायेगा तथा इसके लिए विशेषज्ञों की सहायता लेगा।

उपनियम-7.5

*12

“छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी)” परिशिष्ट-1 व “छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड” परिशिष्ट -2 में उल्लेखित वस्तुओं के बाजार मूल्यों की सतत समीक्षा करेगा।

नियम-8 राज्य शासन के अन्य विभागों एवं उनके उपक्रमों से सामग्रियों का क्रय :-

उपनियम-8.1

ग्रामोद्योग विभाग से सहायता प्राप्त इकाईयों तथा महिला एवं बाल विकास व पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत गठित महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित हैंडलूम तथा हैंडीक्राफ्ट सामग्रियों का क्रय शासकीय कार्यालयों द्वारा सीधे इन इकाईयों/समूहों से किया जा सकेगा जिसके लिए पृथक से निविदा बुलाना आवश्यक नहीं होगा।

उपनियम-8.2

छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित बेल मेटल, लौह, काष्ठ, बांस, शीशम, कौड़ी आदि शिल्प सामग्रियों तथा शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों, कार्यालयों एवं विश्राम गृह में उपयोग होने वाली ऐसी स्टेशनरी एवं सजावटी सामग्री ग्रामोद्योग विभाग के हस्तशिल्प प्रकोष्ठ से क्रय करने हेतु पृथक से निविदा बुलाना आवश्यक नहीं होगा।

(1) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 05.07.2017 द्वारा परन्तुक अन्तस्थपित ।

(2) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 16.10.2017 द्वारा पैरा जोड़ा गया ।

(4) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 30.09.2019 द्वारा पैरा जोड़ा गया ।

(9) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 29.12.2020 द्वारा पैरा जोड़ा गया ।

उपनियम-8.3 समस्त विभागों द्वारा हैन्डलूम तथा हैन्डीक्राफ्ट सामग्री का क्रय आदेश "छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर एवं "छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, रायपुर" को ही प्रदान किया जावे।

उपनियम-8.4 यदि राज्य शासन के किसी विभाग द्वारा संचालित विभागीय निर्माण इकाईयां सामग्री का निर्माण करती है तो ऐसी निर्माणकर्ता इकाई से सामग्री का क्रय किया जा सकेगा जिसके लिए पृथक से निविदा बुलाना आवश्यक नहीं होगा।

उपनियम-8.5 कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा "गोधन न्याय योजना" के अंतर्गत संचालित/नियंत्रित/अधिकृत राज्य शासन के विभागों के शासकीय संस्थानों/गौठानों के द्वारा उत्पादित "जैविक खाद (वर्मी कम्पोस्ट)" का, शासन के अन्य विभागों द्वारा सीधे क्रय, "कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा" समय-समय पर निर्धारित दरों पर किया जा सकेगा। इस हेतु पृथक से निविदा बुलाया जाना आवश्यक नहीं होगा।

उपनियम-8.6 *(10) राज्य शासन के समस्त विभागों, उपक्रमों एवं शासनाधीन संस्थाओं के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित द्वारा स्वयं अथवा अनुबंधित पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप इकाईयों के माध्यम से निर्मित आयुर्वेदिक दवाओं, हर्बल उत्पादों एवं लघु वनोपजों से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का क्रय सीधे छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ से उनके द्वारा निर्धारित दर पर किया जा सकेगा। इस हेतु पृथक से निविदा बुलाया जाना आवश्यक नहीं होगा।

नियम-9 इन नियमों के अधीन शासन के एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग/उपक्रम से क्रय किया जाना वर्जित नहीं है। ऐसा क्रय मूल दरों पर ही होगा।

नियम-10 प्राकृतिक आपदा या कानून व्यवस्था की विषम परिस्थितियों में बिना निविदा बुलाये ही, अत्यावश्यकता की प्रकृति को अभिलिखित करते हुए सीधे सक्षम अधिकारी द्वारा क्रय किया जा सकेगा।

नियम-11 *(1), (2), (4) एवं (9) सामग्री का निरीक्षण इकाई द्वारा प्रदाय से पूर्व कराया जायेगा। प्राप्त किये जाने वाले सामग्री की गुणवत्ता मानकों के अनुसार होने की जिम्मेदारी संबंधित प्रदायकर्ता व क्रेता विभाग की होगी एवं क्रेता विभाग प्रदायकर्ता इकाई को भुगतान सीधे ही करेंगे। विभागों को माल एवं बिल प्राप्ति के 20 दिवस के अंदर नियमानुसार बिल का भुगतान करना अनिवार्य है। भुगतान में अकारण विलंब होने पर विभाग द्वारा प्रचलित बैंक दर से ब्याज देय होगा।

प्रदायित सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये जिस स्थल पर सामग्री प्रदाय की गई है वहां पर भी निर्धारित प्रतिशत में चयनित गुणवत्ता संस्थाओं से सामग्री का निरीक्षण कराया जावे। इस स्थिति में प्रदाय स्थल पर निरीक्षण

(1) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 05.07.2017 द्वारा परन्तुक अन्तर्स्थित ।
(2) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 16.10.2017 द्वारा पैरा जोड़ा गया ।
(3) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 28.04.2018 द्वारा पैरा जोड़ा गया ।
(4) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 30.09.2019 द्वारा पैरा जोड़ा गया ।
(5) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-53/2020/11/6 दिनांक 01.09.2020 द्वारा पैरा जोड़ा गया ।
(12) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 09.05.2022 द्वारा पैरा जोड़ा गया ।

निश्चित समय (अधिकतम अवधि 10 दिवस) में पूर्ण कराया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी क्रेता विभाग की होगी। समय-सीमा में गुणवत्ता निरीक्षण पूर्ण न होने की स्थिति में ऑनलाईन पोर्टल द्वारा उक्त गतिविधि को पूर्ण मानकर आगामी प्रक्रिया हेतु प्रकरण अग्रेषित किया जायेगा।

ई-मानक पोर्टल के माध्यम से सामग्री का क्रय किये जाने की स्थिति में सामग्री प्राप्त हो जाने के 48 घण्टे के भीतर क्रेता को Provisional Receipt Certificate (PRC) जारी किया जाना आवश्यक होगा। प्राप्त सामग्री का सत्यापन किये जाने के उपरांत Consignee Receipt-Acceptance Certificate (CRAC) जारी की जायेगी। यह (PRC) जारी होने की दिनांक से 10 दिनों के अंदर जारी किया जाना आवश्यक होगा। (CRAC) जारी होने के दिनांक से 10 दिनों के भीतर सामग्री का भुगतान क्रेता द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

नियम-12 *12 **निविदा एवं अनुबंधों की सूची/प्रतियां महालेखाकार कार्यालय को भेजना :-**

वित्त संहिता भाग-1 के नियम 21 (2) के अनुसार लेखा परीक्षा को यह अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक विभाग एवं शासन द्वारा कराये गये कार्य के लिए निविदा एवं अनुबंधों की जांच करें अतः रूपए तीन लाख या उससे अधिक के अनुबंधों की प्रतियां उन्हें प्रेषित की जाएगी।

नियम-13 * (4) **सामग्री क्रय करने वाले शासकीय विभाग का यह दायित्व होगा कि सामग्री क्रय करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि यदि किन्ही सामग्रियों का उत्पादन प्रदेश में स्थापित लघु उद्योग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग द्वारा किया जाता है तो मूल्य एवं गुणवत्ता औचित्यपूर्ण होने तथा इकाई की पंजीकृत उत्पादन क्षमता की सीमा में होने की दशा में ऐसे उद्योगों से अनिवार्यतः सामग्रियां क्रय करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये।**

* (3) सामग्री क्रय करने वाला शासकीय विभाग छत्तीसगढ़ में स्थापित भारत सरकार से मान्यता प्राप्त वैध स्टार्टअप जैसा कि औद्योगिक नीति 2014-19 के परिशिष्ट-1 परिभाषा में अनुक्रमांक 54 पर परिभाषित है तथा निविदाकर्ता द्वारा निविदा जारी करने की दिनांक को भारत सरकार की वेबसाईट पर वैध पाया गया है, न्यूनतम स्वीकृत निविदा दर (एल-1) के बराबर करने की सहमति तथा गुणवत्ता औचित्यपूर्ण होने की दशा में सामग्रियां क्रय करने में ऐसे वैध स्टार्टअप को कुल क्रय राशि का 1 प्रतिशत, अधिकतम रूपये 10 लाख प्रतिवर्ष की सीमा तक एवं उत्पादन दिनांक से 3 वर्ष की समयावधि में, क्रय आदेश हेतु प्राथमिकता दे सकेगा। इस हेतु निविदाकर्ता द्वारा निविदा शर्तों में समुचित प्रावधान एवं प्रक्रिया उल्लेखित की जायेगी।

उपनियम-13.1 * (5) **विलोपित ।**

उपनियम-13.2 * (4) **विलोपित ।**

उपनियम-13.3 * (1), (2) एवं (4) **भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 33(3)/2013-IPHW दिनांक 23 दिसम्बर, 2013 एवं इस हेतु जारी दिशा निर्देश दिनांक 16 नवम्बर, 2015 (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक**

(12) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/(6) दिनांक 09.05.2022 द्वारा पैरा जोड़ा गया ।

उत्पादों के क्रय में आरक्षण प्रतिशत, निर्माण में सीनीय इकाई में निर्मित घटक (देशीकरण) का प्रतिशत तय करते हुये नियम तथा प्रक्रिया बनाने का कार्य इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जावेगा।

(दो) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को जेम के उपयोग हेतु राज्य शासन के साथ निष्पादित एमओयू दिनांक 26.10.2017 को निरस्त करने हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी नोटिस दिनांक 28.01.2019 को वापस लिये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

नियम-14 * (5) विलोपित।

उपनियम-14.1 * (5) विलोपित।

नियम-15 विलोपित।

क्रय तथा निविदा आमंत्रण में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की जाएगी :-

उपनियम-15.1 समाचार पत्रों में जारी निविदा के साथ ही क्रेता विभाग का वेबसाईट का पता भी दिया जाए।

उपनियम-15.2 निविदा का समाचार पत्रों में प्रकाशन के साथ निविदा को विभाग की वेबसाईट पर भी प्रकाशित किया जाए। इससे निविदा में भाग लेने वाली इकाई के लिए यह आवश्यक नहीं रहेगा कि वह विभाग से निविदा प्रपत्र प्राप्त करे। निविदाकार वेबसाईट में उपलब्ध निविदा प्रपत्र को डाउनलोड करके निविदा में भाग ले सकेगा जिसे मान्यता प्रदान की जायेगी।

उपनियम-15.3 ऐसे निविदाकारों से, जिन्होंने वेबसाईट से डाऊन लोड करके निविदा भरी है, निविदा फीस निविदा प्रस्तुत करते समय प्राप्त की जायेगी।

उपनियम-15.4 *12 जिन वस्तुओं की निविदा आमंत्रित किया जाना है, उसे यथासंभव ऑनलाईन ई-निविदा के माध्यम से आमंत्रित किया जावे।

नियम-16 विशेष परिस्थितियों में राज्य शासन का वाणिज्य एवं उद्योग विभाग किसी नियम को शिथिल करने की स्वीकृति दे सकेगा तथा इन नियमों के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकेगा।

परिशिष्ट - 1

(नियम 3 एवं 7) यथा संशोधित

सरल क्रमांक	परिशिष्ट-1 का अनुक्रमांक	वस्तु का नाम
1	1	पेन्ट वारनीश और डिस्टेम्पर
2	5	स्टेनलेस स्टील एवं एल्युमिनियम के बर्तन
3	6	कृषि उपकरण :- अ. बेलचा ब. कुदाली, गैती स. फावड़ा ड. धमेला इ. सबल
4	7	स्टील के पाईप (जी.आई.पाईप (केसिंग पाईप/राईजर पाईप) सहित)
5	13	स्टील रि-रोलिंग मिल के उत्पाद ख) एंगल
6	17	सेनेटरी फिटिंग
7	19	जनरल इंजीनियरिंग :- ब) बिल्डिंग मटेरियल :- स्टील स्ट्रक्चर्स, ट्रेसेस, स्टील डोर, विन्डो, ग्रिल, स्टोरेज टैंक, रोलिंग शटर, सेन्टरिंग प्लेट, स्टील बेस फ्रेम, प्रेस्ड डोर व विन्डो स) बारबेड वायर, एम.एस. वायर, वायर नोटिंग, लिंक चेन्स, द) शीट मेटल गुड्स :- स्टील ट्रंक, बाक्सेस, ड्रम, कंटेनर, बकेट, आफिस स्टेशनरी आर्टीकल्स :- कान्फीडेंशियल बाक्सेस, रैक्स आदि इ) सभी प्रकार के स्टील फर्नीचरर्स (आफिस व हास्पिटल के लिये) फ) रोड साईन बोर्ड
8	20	जीप ट्राली, ट्रेक्टर ट्राली, वाटर टैंकर, अनेक साईजों व क्षमतानुसार ट्रालियां
9	21	केरोसीन स्टोरेज टैंक
10	25	केमिकल प्रोडक्ट्स :- अ) एसिड-सल्फ्यूरिक, नाईट्रीक, हाइड्रोक्लोरिक ब) लाईम स) डिस्टीलड वाटर द) शेलॉक इ) एलम फ) ब्लीचिंग पावडर ज) फिनाईल झ) टिंचर आयोडीन ट) सोडियम हाईपोक्लोराईट
11	27	इलेक्ट्रिक केबल व वायर, एल्युमिनियम कंडक्टर

सरल क्रमांक	परिशिष्ट-1 का अनुक्रमांक	वस्तु का नाम
12	28	इलेक्ट्रिकल आइटमस :- क) सीलिंग, टेबल व केबिन फैनस ख) हीटर्स ग) विद्युत उपकरण घ) आयरन क्लैंड स्वीचेस च) कॉपर टेप छ) एयर कंडीशनर ज) इक्व्यूबेटर्स झ) आटो क्लेव ट) एमीटर्स
13	30	रूम कूलर डेजर्ट टाईप
14	31	वाटर कूलर
15	35	बैटरी
16	39	लेबोरेटरी इक्वीपमेंट
17	40	फायर फाइटिंग इक्वीपमेंट :- अ) होज ब) पम्प स) फायर इटिंग्यूशर व रिफिल्स
18	41	वेल्डिंग ट्रांसफार्मर व जनरेटर्स
19	43	प्लास्टिक की वस्तुएं :- मोल्डेड अ) फर्नीचर ब) केन स) टम्बलर द) जार इ) बकेट्स
20	45	एच.डी.पी.ई. पाईप व फिटिंग्स
21	46	एच.डी.पी.ई. स्टोरेज टैंक
22	47	पालीयुरेथीन फ्लेक्सिबल, फोम मैट्रेक्स, पिलो
23	48	पी.वी.सी. पाईप व फिटिंग्स
24	49	पालीप्रोपलीन बैग
25	50	पोलीथीन बैग
26	54	एस्बेस्ट्स सीमेंट पाईप, फिटिंग्स
27	55	स्टोन टाइल्स
28	57	स्टील सिलिंडर रि-इन्फोर्समेंट आर.सी.सी. पाईप
29	58	आर.सी.सी.पोल
30	59	बाउंड्री कि.मी. पोल
31	60	फोटो कापीयर
32	62	कम्प्यूटर एवं एसेसरीज
33	65	मास्किटो नेट
34	66	तारपोलिन/एच.डी.पी.ई. तारपोलिन/एल.डी.पी.ई. व एच.डी.पी.ई. शीट व फिल्म, कैप कवर
35	75	बूट पॉलिश

सरल क्रमांक	परिशिष्ट-1 का अनुक्रमांक	वस्तु का नाम
36	78	गम बूट/जूते तथा मोजे के अधीन सामग्री 1. गम बूट/जूते तथा मोजे 2. डर्बी शू लेदर काला 3. एम्यूनेशन (एंकल) बूट 4. जंगल शू 5. पी.टी. शू सफेद व ब्राउन 6. रबबाराईज्ड सेण्डल 7. यूनिफार्म शू काला (आक्सफोर्ड पैटर्न)
37	80	आर.सी.सी. ह्यूम पाईप
38	81	निःशक्त जनों के लिए कृत्रिम अंग/उपकरण
39	85	क्लोरिन टेबलेट
40	89	हैण्ड पंप इंडिया मार्क 2 तथा स्पेयर पार्ट्स
41	90	सबमर्सिबल पंप
42	92	ब्रिक्स (फ्लाई ऐश)
43	94	ट्री गार्ड
44	96	चौक
45	97	रोलअप बोर्ड
46	98	टीन स्लेट
47	101	कंट्रोल पैनल
48	102	सायकल
49	104	आयरन रिमूवल् प्लांट
50	105	स्टैंड अलोन वाटर प्यूरीफिकेशन सिस्टम
51	106	एल.ई.डी. लाईट
52	107	सी.एफ.एल. लाईट
53	118	सिलाई मशीन
54	122	समस्त खेल 1. 12 स्टेशन मल्टी जिम के उपकरण/सामग्री 2. फुटबाल के उपकरण/सामग्री 3. व्हॉलीबॉल के उपकरण उपकरण/सामग्री 4. डिस्कस (एथलेटिक उपकरण) के उपकरण/सामग्री 5. शॉट (एथलेटिक उपकरण) के उपकरण/सामग्री 6. जेवलिन (एथलेटिक उपकरण) के उपकरण/सामग्री 7. एथलेटिक के उपकरण उपकरण/सामग्री 8. आरचेरी के उपकरण/सामग्री 9. वेट लिफ्टिंग के उपकरण/सामग्री 10. रेसलिंग के उपकरण/सामग्री 11. कबड्डी के उपकरण/सामग्री 12. खो-खो के उपकरण/सामग्री 13. हॉकी के उपकरण/सामग्री 14. हैंडबॉल के उपकरण/सामग्री 15. जिम्नेस्टीक्स के उपकरण/सामग्री 16. स्वीमिंग के उपकरण/सामग्री 17. बेडमिंटन के उपकरण/सामग्री 18. टेबल टेनिस के उपकरण/सामग्री 19. वोशु के उपकरण/सामग्री 20. ताईक्वांडो के उपकरण/सामग्री 21. साईक्लींग के उपकरण/सामग्री 22. बॉक्सींग के उपकरण/सामग्री 23. जूडो के उपकरण/सामग्री 24. बास्केट बॉल के उपकरण/सामग्री

* इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 02.02.2023 द्वारा सामग्री जोड़ा गया।

सरल क्रमांक	परिशिष्ट-1 का अनुक्रमांक	वस्तु का नाम
		प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/ हाई/हायर सेकेण्डरी स्तर के खेल सामग्रियों से संबंधित सामग्री
		25. रस्साकस्सी के उपकरण/सामग्री
		26. योगा के उपकरण/सामग्री
		27. सॉफ्ट टेनिस के उपकरण/सामग्री
		28. कैरम के उपकरण/सामग्री
		29. भौरा के उपकरण/सामग्री
		30. कंचे के उपकरण/सामग्री
		31. पिट्टुल के उपकरण/सामग्री
		32. मल्लखंब के उपकरण/सामग्री
		33. रस्सी कूद के उपकरण/सामग्री
		34. हैंडबाल के उपकरण/सामग्री
		35. पंतगबाजी के उपकरण/सामग्री
		36. गेंडी के उपकरण/सामग्री
		37. शतरंज के उपकरण/सामग्री
		38. क्रिकेट के उपकरण/सामग्री
		39. नेटबाल के उपकरण/सामग्री
55	123	एल.सी.डी.मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर (LCD Multimedia Projector)
56	129	फॉगिंग मशीन
57	130	फाईबर से बने उत्पाद (डस्टबिन, सीट, ट्रेफिक-कोन)
58	132	व्हाइट/ब्लैक बोर्ड
59	133	इलेक्ट्रिक वेइंग स्केल फॉर चाइल्ड
60	134	मेकेनिकल एडल्ट वेइंग स्केल (प्लेटफार्म)
61	135	मेकेनिकल बेबी वेइंग स्केल (हेंगिंग)
62	136	मेकेनिकल चाइल्ड वेइंग स्केल (हेंगिंग)
63	137	प्री-स्कूल किट (कुल 37 सामग्रियाँ)
64	139	व्यायाम उपकरण 1. फिसलपट्टी 2. सी-सी झुला (डबल) 3. मेरी गो राऊन्ड 4. सामान्य झुला 5. सिंगल बार 6. डबल बार 7. आर्च स्वींग डबल 8. किड्स गो राऊन्ड 9. काम्बिनेशन सेट 10. ओशियन वेब 11. रिवाल्विंग प्लेटफार्म 12. वाकिंग बारेल 13. मिनी हट्स बिद् स्लाइड 14. राकिंग बोर्ड 15. ब्रीज लीडर 16. स्पाइरल स्लाइड

सरल क्रमांक	परिशिष्ट-1 का अनुक्रमांक	वस्तु का नाम
65	140	बायो-मीट्रिक डिवाइस।
66		निर्माण से संबंधित सामग्री
		कनसरटीना वायर
		हाईटेक बैरियर
67		वानिकी कार्य से संबंधित सामग्री
		स्प्रेयर (आई.एस.आई. मार्क)
		स्प्रिंकलर (आई.एस.आई. मार्क)
		ड्रिप सिस्टम
		ग्रीन नेट
		ग्रीन हाऊस
		पॉली हाऊस
		आरा (आई.एस.आई. मार्क)
		चैन सा (आई.एस.आई. मार्क)
		कनासी (आई.एस.आई. मार्क)
		एच. डी. पी. ई. वर्मी बेड (आई.एस.आई. मार्क)
68		स्थानान्तरण के तहत परिशिष्ट-2 में जोड़ा गया।
69		राजमिस्त्री औजार किट
		रेजा कुली औजार किट
		कारपेंटर औजार किट
		पेंटर औजार किट
		इलेक्ट्रीशियन औजार किट
		प्लंबर औजार किट
		सुरक्षा उपकरण किट
70		सेनेटरी पेड
		सेनेटरी पेड वैंडिंग मशीन
		सेनेटरी पेड इनसिनरेटर
71		स्थानान्तरण के तहत परिशिष्ट-2 में जोड़ा गया।
72	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालय स्तर के सामग्रियों से संबंधित सामग्री	एल.ई.डी. टीवी
		सीसीटीवी कैमरा (कक्षा अवलोकन हेतु कैमरा)
73	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की आवश्यकता	ट्राय सायकल (गारबेज कंटेनर)
		ई-रिक्शा (गारबेज कंटेनर)
		ग्लोब्स/मास्क/एप्रन/शू
		प्लास्टिक बोतल कम्प्रेसन मशीन
		प्लास्टिक सेडर मशीन
		हैण्ड कार्ट
74	सिविल निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री	1. सीमेन्ट (आईएसआई मार्क) 2. टीएमटी बार (आईएसआई मार्क)
75	राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हेतु सामग्री	1. प्लास्टिक बेलिंग मशीन 2. प्लास्टिक थ्रेडर मशीन 3. प्लास्टिक ग्रेन्यूअल मेकिंग मशीन

* इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 02.02.2023 द्वारा सामग्री जोड़ा गया।

सरल क्रमांक	परिशिष्ट-1 का अनुक्रमांक	वस्तु का नाम
76	महिला एवं बाल विकास विभाग हेतु सामग्री	1. मेकेनिकल बेबी वेईंग स्केल (प्लेटफार्म टाईप)
77	लेबोरेटरी/वेईंग स्केल/ग्रीन नेट/ग्रीन हाउस/पॉली हाउस सामग्री	1. Lab Chemical 2. Plate From, type Electric Weighing Machine 3. Mulching Sheet 4. Pond Lining 5. Dunnage Pallets

* इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 02.02.2023 द्वारा सामग्री जोड़ा गया।

* इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 11.04.2023 द्वारा सामग्री जोड़ा गया।

परिशिष्ट - 2

(नियम 3 एवं 7) यथा संशोधित

सरल क्रमांक	परिशिष्ट-2 का अनुक्रमांक	वस्तु का नाम
1		Agriculture Pesticide (Chemical) / Bio Pesticide (Bio)
2		Agriculture Micronutrient
3		Bio Fertilizer & Organic Fertilizer (Va Mycorrhiza Etc)
4		Weedicide (Post Emergence & Pre Emergence) Cereals, Pulses, Oil Seed & Vegetables
5		Oil Cake, Neem Cake, Rice Bran & Bone Mill
6		Vermi Culture (Live Earth Material)
7		Horticulture Produce Processing And Training Equipment (Pre Fabricated Pack House)
8		Cattle And Poultry Feed Material
9		Tissue Culture Plants Banana, Bamboo, Shugarcane
10		Bullock Drawn hand Operated Agricultural Implements
11		Grafted Vegetable Plants
12		Vermi Compost, City Compost & Pressmud
13		Soil Testing Digital Mini Lab & Reffills
14		Hybrid Maize Seed (Notified), Hybrid Paddy Seed (Notified), Hybrid Sun Flower Seed (Notified)
15		Soil Testing Lab Equipment & Accessories
16		Fisheries Material (Net, Thread, Fish Feed, Floating Fish Feed, Fish Ice Box, Cage)
17		Quality Planting Material (Fruits/Agro Forestry/Flowers Plants & Flowers Seeds)
18		Forestry Plants
19		Medicinal & Aromatic Plants
20		Vegetable Hybrid Seed
21		Fisheries Aerator
22		"Horticulture Produce Processing And Training Equipment" (Pre Fabricated Pack House, Power Tiller and other)
23		Certified Vegetable Seed (Potato, Coriander, Methi, Garlic, Aravi, Ginger, Turmeric, Elephant Foot Yam)
24		Plant Protection Equipment And Light Trap (Ppe)
25		Lime, Gypsum Pyrite For Agriculture Use,
26		Vegetable Growing Kit
27		Power Operated Agriculture Implement/Machinery
28	67 / 28	वानिकी कार्य से संबंधित सामग्री
	28.1	नीम खली
	28.2	बोनमील
	28.3	डी. ए. पी.
	28.4	सुपर फास्फेट
	28.5	फोरेट
	28.6	क्लोरोपायरिफास
	28.7	मोनोकोटोफास
	28.8	मेलाथियान
	28.9	रूट ट्रेनर-40 सेल ब्लॉक, क्षमता 80 से 85 सी.सी. (साईज-350x220x100MM)
	28.10	कोकोपीट
	28.11	वर्मी कोलायड

सरल क्रमांक	परिशिष्ट-2 का अनुक्रमांक	वस्तु का नाम
29	68 / 29	(अ) फलदार पौधा
		29.1 आम (ऊंचाई-6 से 8 फिट)
		29.2 ईमली (ऊंचाई-4 से 5 फिट)
		29.3 जामुल (ऊंचाई-6 से 8 फिट)
		29.4 महुआ (ऊंचाई-4 से 5 फिट)
		29.5 चिरौन्जी (ऊंचाई-6 से 8 फिट)
		29.6 आंवला (ऊंचाई-6 से 8 फिट)
		29.7 हर्षा (ऊंचाई-6 से 8 फिट)
		29.8 बहेड़ा (ऊंचाई-6 से 8 फिट)
		29.9 कटहल (ऊंचाई-6 से 8 फिट)
		(ब) औषधि पौधा
		29.10 तिखुर
		29.11 बैचांदी
		29.12 जिमीकांदा
		29.13 दहीमन
		(स) अन्य पौधा
		29.14 बरगद (ऊंचाई-6 से 8 फिट)
		29.15 पीपल (ऊंचाई-6 से 8 फिट)
		29.16 नीम (ऊंचाई-6 से 8 फिट)
		29.17 सागौन रूटशूट (स्टेण्डर्ड साईज)
		29.18 डेन्ड्रोकैलेमस स्ट्रीक्टस राईजोम (दो वर्ष पुराना)
		29.19 बम्बूसा बैलकोवा राईजोम (दो वर्ष पुराना)
		29.20 बम्बूसा बलगेरिस राईजोम (दो वर्ष पुराना)
		29.21 क्लोनल नीलगिरी (ऊंचाई-1.5 से 2 फिट)
30	71 / 30	अ-वानिकी कार्य से संबंधित सामग्री
		30.1 कोलतार (डामर)
		30.2 ब्लैक जापान
		30.3 टेप
		30.4 लारटॉप
		30.5 बायफनथ्रीन (10 प्रतिषत)
		30.6 इमिडियाक्लोप्रिड
		30.7 प्रोफेरोफॉस
		30.8 पेग टूथ सा हायलो बेक
		30.9 बायो इनरिचड जैविक खाद
		30.10 प्लान्ट ग्रोथ रेगुलेटर
		30.11 सॉ फाईल

सरल क्रमांक	परिशिष्ट-2 का अनुक्रमांक	वस्तु का नाम
31	71/ 31	ब- विभिन्न प्रकार के पौधे
		31.1 औषधि पौधा
		31.2 सतावर (उचाई-2.5 से 3 फिट)
		31.3 सफेद मूसली (उचाई-2.5 से 3 फिट)
		31.4 सर्पगंधा (उचाई-2.5 से 3 फिट)
		31.5 बायबीडिंग (उचाई-2.5 से 3 फिट)
		स-अन्य पौधा
		31.6 टिशू कल्चरल सागौन पौधा
		31.7 टिशू कल्चर बांस पौधा
		31.8 टूबोविया (उचाई-6 से 8 फिट)
		31.9 कचनार (उचाई-6 से 8 फिट)
		31.10 स्पैथोडिया (उचाई-6 से 8 फिट)
		31.11 महोगनी
		31.12 जैकरेंडा
		31.13 मिलिंग टोनिया
		कृषि विभाग हेतु सामग्री
32		1 Lab Chemical (केवल कृषि विभाग के उपयोग हेतु)
		2 Green House With Fan & Pad Cooling System (केवल कृषि विभाग के उपयोग हेतु)
		Shade Net House (केवल कृषि विभाग के उपयोग हेतु)
		Pastic Tunnel, (केवल कृषि विभाग के उपयोग हेतु)
		Root Trainer, (केवल कृषि विभाग के उपयोग हेतु)
		Poly House, (केवल कृषि विभाग के उपयोग हेतु)
		3 Shade Net/Green Net (केवल कृषि विभाग के उपयोग हेतु)
		4 Pump Set, Accessories (केवल कृषि विभाग के उपयोग हेतु)
		5 HDPE Portable Vermi Compost Bed (केवल कृषि विभाग के उपयोग हेतु)
		6 Drip System (For Horticulture Crop) (केवल कृषि विभाग के उपयोग हेतु)
		7 Sprinkler System (For Agriculture Crop) (केवल कृषि विभाग के उपयोग हेतु)
		8 Plate From Type Electronic Weighing Machine (केवल कृषि विभाग के उपयोग हेतु)
		9 Mulching Sheet (केवल कृषि विभाग के उपयोग हेतु)
		10 Pond Lining (केवल कृषि विभाग के उपयोग हेतु)
		12 Dunnage Pallets (केवल कृषि विभाग के उपयोग हेतु)
		13 Palnthton Grower (केवल कृषि विभाग के उपयोग हेतु)
		14 Seed Greding Procesing Unit (केवल कृषि विभाग के उपयोग हेतु)
		15 Machinery & Equipement For Parkritik Paimt Unit (केवल कृषि विभाग के उपयोग हेतु)
		16 Sugarcane Plant (Poly Bag Sugarcane) (केवल कृषि विभाग के उपयोग हेतु)
		17 Waste Decomposer (केवल कृषि विभाग के उपयोग हेतु)
		18 Horticulture Tools & Tool Kit (केवल कृषि विभाग के उपयोग हेतु)

परिशिष्ट-2 इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 28.02.2022 द्वारा संशोधित।
परिशिष्ट-2 इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 11.04.2023 द्वारा संशोधित।

परिशिष्ट – 3
नियम 4.4.2
(निविदा सूचना का प्रारूप)

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक दिनांक

की ओर से निर्माताओं तथा उनके अधिकृत विक्रेताओं से (सामग्री का नाम) प्रदान करने हेतु मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से आवेदन प्रस्तुत कर (आयकर प्रमाण पत्र सहित) रु..... नगद भुगतान कर दिनांक के पूर्व कार्यालयीन दिवस में प्राप्त किये जा सकते हैं।

निविदा बिक्री की अंतिम तिथि समय

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि समय

निविदा खोलने की तिथि समय स्थान

(प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम)

परिशिष्ट – 4
नियम 4.3.1
(प्रशासकीय विभाग के पत्र में)

यह प्रमाणित किया जाता है कि,

- (1) सांपत्तिक वस्तु (Proprietary Article).....
 का निर्माण निर्माता/इकाई मेसर्स.....
 द्वारा किया जाता है।
- (2) सांपत्तिक वस्तु (Proprietary Article) किसी भी अन्य मेक एवं मॉडल स्वीकृत नहीं किये जाने के संबंध में कारण (लिपिबद्ध हो)
-
-
-

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा	हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
विभागाध्यक्ष	सक्षम तकनीकी विशेषज्ञ/सक्षम प्राधिकारी
कार्यालय का नाम एवं पता	कार्यालय का नाम